कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।

पत्रांक-4177 /5-3 दिनांक, मेरठ, 18 मार्च 2016.

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

1– महामहिम, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ, किसी भी पंजीकृत फर्मों से निम्न मानकों की मोटर बोट विद इंजन की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं। टैण्डर दिनांक 29.03.2016 के अपरान्ह् 2.00 बजे तक अथवा पूर्व में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में बन्द बाक्स में डाली जा सकती है। प्राप्त टैण्डर उसी दिन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी अथवा नामित अधिकारी द्वारा दिनांक 29.03.2016 को सांय 4.00 बजे खोले जायेंगे। दिनांक 29.03.2016 का अवकाश होने पर निविदायें अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय व स्थान पर खोली जायेंगी। निविदा की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी। टैण्डरदाता चाहे तो टैण्डर खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। लिफाफे के ऊपर मोटर बोट विद इंजन की आपूर्ति हेतु निविदा लिखा जाना आवश्यक है।

2–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	आपूर्ति स्थल का नाम	अर्नेस्ट मनी की धनराशि	टैण्डर फार्म का मूल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	Supply of inflatable rubberized boat with hypalon coated fabric on the outside & Neoprene coated on the inside. The material would be of minimum 1350 GSM.	3.00	हस्तिनापुर रेंज परिसर	24000.00	(300+ 100) + वैट	आपूर्ति आदेश के दिनॉक से तीन दिन के अन्दर

3–निविदा फार्म में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के प्रपत्र अलग–अलग हैं, जिसे अलग–अलग बन्द लिफाफों में भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा इन लिफाफों पर स्पष्ट रूप से तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अंकित होना चाहिए। दोनों बन्द लिफाफों को पुनः एक अन्य लिफाफे में बन्द कर टैण्डर दिनांक 29.03.2016 के अपरान्ह् 2.00 बजे तक अथवा पूर्व में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में बन्द बाक्स में डाली जा सकती है। उपरोक्त दिनांक व समय के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

4–कार्य को पूर्ण करने की अवधि कॉलम सं0 7 में अंकित है।

5–कॉलम संख्या–3 में दी गयी मात्रा आपूर्ति स्थलवार कम या अधिक हो सकती है। आपूर्ति बजट की उपलब्धता एवं कार्य की स्वीकृति से आच्छादित होगी।

6–निविदा प्रपत्र प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी से निर्धारित मूल्य देकर दिनांक 20.3.2016 से दि0 28.03.2016 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11.00 बजे सांय 4.00 बजे तक तथा दिनांक 29.03.2016 के दोपहर 1.00 बजे तक नगद अथवा किसी अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो **"प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ"** के पक्ष में देय हो जमा कर प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक निविदादाता अन्य आवश्यक सूचनायें प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, 223/1 सिविल लाईन, मेरठ कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

7–दिनांक 29.03.2016 को अपरान्ह् 2.00 बजे बक्सा सील कर दिया जायेगा।

8–समस्त कार्यों को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करना होगा। अन्यथा स्वीकृत निविदादाता को विलम्ब शुल्क अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से करना होगा।

9–निर्धारित अर्नेस्ट मनी की धनराशि जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0सी0डी0ए0 या पोस्ट आफिस की एन0एस0सी0 के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित हों, टैण्डर के साथ संलग्न होनी चाहिए।

10–अधोहस्ताक्षरी को यदि यह विश्वास हो जाये कि स्वीकृत टैण्डर दाता कार्य समय से सम्पन्न करने या कार्य अनुमान से निर्धारित मानक के अनुसार नहीं कर रहा है तो स्वीकृत टैण्डर दाता की जमानत जब्त कर कार्य किसी अन्य एजेंसी/द्वितीय न्यूनतम टैण्डर दाता अथवा विभागीय रूप से कराने का अधिकार सुरक्षित होगा।

11–अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी भी टैण्डर को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

12–स्वीकृत टैण्डर दाता को नियमानुसार बिक्रीकर, स्टाम्प डयूटी व आयकर आदि जो भी कर कार्य अवधि के समय लागू होंगे, जमा करना होगा।

13–किसी भी विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, मेरठ वृत्त मेरठ का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

14–कोई भी निविदादाता कार्यदायी प्रभाग–वृत्त में जहां उनका संबंधित अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट संबंधी (प्रथम रक्त संबंधी अथवा उसकी पत्नी) किसी पद पर कार्यरत हो, निविदा डालने के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

15–राज्य एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत कोई भी राजपत्रित अधिकारी जो वन विभाग में प्रशासनिक पद पर रहा हो, सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक शासन की अनुमति के बिना ठेकेदारी के कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि कार्य अवधि में ऐसा पाया जाता है तो उक्त अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

16–कोई भी निविदादाता जिसका अपराधिक इतिहास हो, को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

17–स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

18–निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त सामग्री मूल्य का 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि की राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0सी0डी0ए0 या पोस्ट आफिस की एन0एस0सी0 के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित हों, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा। अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जमानत की धनराशि में समायोजित किया जा सकता है।

19–निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने के पश्चात अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने होगें।

20–निविदा की वैधता इसकी प्राप्ति की अन्तिम तिथि से 90 दिन के लिए होगी। प्राप्त निविदाओं को वापस नहीं किया जायेगा।
21–टैण्डर के साथ पैन नम्बर, व्यापार कर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक हैं।
22–बोट आपूर्ति के समय इण्डियन रजिस्ट्रार ऑफ शिपियार्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तदोउपरान्त की भुगतान की कार्यवाही सम्भव होगी।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।

संख्या / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
2– अपर प्रमुख वन संरक्षक,आई0टी0,अरण्य सदन, सैक्टर 19 इन्द्रिरा नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि टैण्डर नोटिस को विभागीय वेबसाईट पर लोड करने का कष्ट करें। (स्पीड पोस्ट के माध्यम से)।
3– मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।
4– मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ।
4– मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, उ0प्र0, मेरठ।
5– वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
6– जिलाधिकारी, मेरठ ।
7– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ वृत्त मेरठ।
8– लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड–1,2,3,4 मेरठ तथा प्रान्तीय खण्ड मेरठ।
9– मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
10– जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
11– उप प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ व बागपत।
12– समस्त वन क्षेत्राधिकारी, मेरठ वन प्रभाग को 15–15 प्रतियों में व्यापक प्रचारार्थ।
13– ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, मेरठ खण्ड मेरठ ।
14– जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मेरठ।
15– प्रभारी, एन0आई0सी0, मेरठ को राजकीय वैबसाईट पर डालने हेतु।
16– नोटिस बोर्ड।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।

D/Acount/Tender Notice